रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03012022-232368
SG-DL-E-03012022-232368

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 345
No. 417]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943	[N. C. T. D. No. 345

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सं0फा0 20/23/2000/गृह पु0–II/2750–2764.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 469 तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 375 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को जिन्हें ओ एस डी (गजट–**II**) दिल्ली उच्च न्यायालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं0 44/डीएचसी/गजट–II/विशेष एमएम–2019/2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 18 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष महानगर दण्डाधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपराधों की विवेचना हेतु उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करते हैं । यह शक्तियां उस अवधि तक जारी रहेंगी, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात् :—

1. श्री सुरेश चन्द्रा
2. श्री वेद प्रकाश शर्मा
3. श्री कांशी राम वर्मा
4. श्री लल्लन सिंह
5. श्री राम प्यारा

नगर दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त उक्त अधिकारी, अन्य विशेष महानगर दण्डाधिकारियों की तरह सप्ताह में छः दिन कार्य करेंगे और महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहेगा और दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर दण्डाधिकारी द्वारा विचारण), नियमावली 1998 में निहित प्रावधानों के अनुसार अवकाश के पात्र होंगें ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शक्ति बांगर, उप सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th December, 2021

F. No. 20/23/2000/HP-II/ 2750-2764.—In exercise of the powers conferred by section 469 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and section 375 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, (44 of 1994), the Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to confer upon the following persons, who have been conferred with all power of Special Metropolitan Magistrate in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 18 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), vide Notification No.44/DHC/GAZ.-II/SPL.MM-2019/2021 dated, 11th October 2021 of OSD (Gazette-II), High Court of Delhi, the powers of Municipal Magistrate for the trial of offences under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and New Delhi Municipal Council Act, 1994, within the National Capital Territory of Delhi for such period till the powers of Special Metropolitan Magistrate conferred upon them by the High Court of Delhi, exist, namely:-

1. Mr. Suresh Chandra,
2. Mr. Ved Prakash Sharma,
3. Mr. Kanshi Ram Verma,
4. Mr. Lallan Singh,
5. Mr. Ram Pyara,

The above said officers, appointed as Municipal Magistrates, like other Special Metropolitan Magistrates, would work for six days a week with Second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order and in Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHAKTI BANGAR, Dy. Secy. (Home-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.03 22:04:58 +05'30'